जीसीएमएस नं. 2023/206

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर०ए०एस०

अपील प्रकरण सं० 40/2023

1. रामलाल उर्फ रामू राम पुत्र स्व. श्री हंसराज पुत्र स्व. श्री केसूराम, जाति नायक निवासी गांव तख्तहजारा, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. ईसर राम पुत्र स्व. श्री केसूराम, जाति नायक निवासी गांव तख्तहजारा, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
2. लेखू बाई पत्नी स्व. श्री केसूराम, जाति नायक निवासी गांव तख्तहजारा, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
3. बिरमा पुत्री स्व. श्री केसूराम पत्नी मोहनलाल, जाति नायक निवासी गांव दलियांवाली, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
4. रेशमी पुत्री स्व. श्री केसूराम पत्नी श्री चुनाराम, जाति नायक निवासी चक 2 डी बड़ी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. भोमली पुत्री स्व. श्री केसूराम पत्नी श्री पप्पूराम, जाति नायक निवासी चक 6 डी डी तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।
6. भूराराम पुत्र श्री हंसराज, जाति नायक निवासी गांव तख्तहजारा, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
7. राधा देवी पुत्री श्री हंसराज, जाति नायक निवासी गांव तख्तहजारा, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
8. माया पुत्री श्री हंसराज, जाति नायक निवासी गांव तख्तहजारा, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
9. धापू पुत्री श्री हंसराज, जाति नायक निवासी गांव तख्तहजारा, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
10. कोयली देवी पुत्री श्री हंसराज, जाति नायक निवासी गांव तख्तहजारा, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार सादुलशहर।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार भू-अभिलेख सादुलशहर द्वारा प्रकरण अनवानी ईसर राम बनाम केसूराम प्रकरण संख्या 12/22 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा वसीयत दिनांक 03.01.2017 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश किया, जिस पर इंतकाल संख्या 945 दिनांक 20.09.2022 दर्ज हुआ को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :

1. श्री बलकरण सिंह बराड़, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री जसकरण सिंह, अधिवक्ता, रेस्पो० 1ता 5
3. श्री गुणवंत सिंह, अधिवक्ता, रेस्पो. 6 ता 10

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

:: आदेश::   दिनांक :27.01.2028

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि:—

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश खिलाफ वाक्यात, खिलाफ कानून दिनांक 03.08.2022 को निर्णय पारित किया गया जो खारिज होने योग्य है।
2. अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 10 के पिता/दादा स्व. केसूराम के नाम से चक 6 बीजीएस, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 52/52 मुरब्बा नंबर 10, 18 में कुल 6.325 है. में से 2/5 हिस्सा यानि 10 बीघा नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी।
3. स्व. केसूराम के दो पुत्र रेस्पोंडेंट संख्या 1 ईसरराम और अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 6 ता 10 के पिता हंसराज रेस्पोंडेंट संख्या 2 ता 5 पुत्रियां वारिसान है। केसूराम का दिनांक 20.11.2021 व हंसराज का दिनांक 20.07.1995 को देहांत हो चुका है। जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 6 भूराराम द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91, 53 व 209 आर टी एक्ट अनवानी भूराराम आदि बनाम ईसरराम आदि प्रकरण संख्या 649/2021 पेश किया जो आज भी उपखंड अधिकारी राजस्व सादुलशहर में जेरकार है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 18.08.2023 नियत है।
5. रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.07.2022 को एक लिखित प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश कर वसीयत दिनांक 03.01.2017 के आधार पर अपने नाम इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया था।
6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई। हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर केवल मात्र चार पेशियों में ही प्रकरण को एक पक्षीय निर्णय दिया गया है।
7. अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 6 ता 11 को बिना सुने, बिना नोटिस दिये केवल मात्र दैनिक अखबार की सूचना को सही मानकर दिनांक 03.08.2022 को एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया जो खारिज किये जाने योग्य है।
8. रेस्पोंडेंट संख्या 1 ईसरराम उपखंड अधिकारी राजस्व सादुलशहर के समक्ष विचाराधीन वाद पत्र संख्या 649/2021 अनवानी भूराराम बनाम ईसरराम आदि में जरिए अधिवक्ता पेश हुआ है और अपना जवाब दावा दिनांक 24.08.2022 को प्रस्तुत किया है।
9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि वसीयत के संबंध में कोई विवाद नहीं है तथा ना ही कोई प्रकरण विचाराधीन है। जबकि उक्त भूमि के संबंध में वाद पत्र वर्तमान में विचाराधीन है, तथा सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 व 53 का घोर उल्लंघन है। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज होने योग्य है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लेण्ड रिकॉर्ड व रूल की पालना नहीं की गई है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप तथा वसीयतकर्ता के विधिक वारिसानों को सुनवाई का मौका दिया जाना जरूरी है।

11. यदि रेस्पोडेंट के पक्ष में तथाकथित वसीयत दिनांक 03.01.2017 को करवायी जानी बताते है उस समय वसीयतकर्ता केसूराम मानसिक रूप से बीमार था और बुजुर्ग अवस्था में था। उसे अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं था। इसलिए रेस्पोडेंट द्वारा गलत तरीके से वसीयत करवायी गई थी। यदि वसीयत सही होती तो रेस्पोडेंट संख्या 1 केसूराम की मृत्यु के तुरंत बाद ही वसीयत का इंतकाल दर्ज करने बाबत् कार्यवाही करता लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा ऐसा नहीं किया गया, रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विवाद होने पर ही अधीनस्थ न्यायालय में की गई जो दिनांक निरस्त होने योग्य है।

12. केसूराम की कृषि भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 दोनों 1/2 हिस्सा के मालिक है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 10 द्वारा अपना हिस्सा पूर्व में छोड़ चुके हैं।

13. अपीलांट हल्का पटवारी से दिनांक 21.07.2023 को किसी काम को लेकर मिला तो उसने बताया कि आपके द्वारा केसूराम के नाम की कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 03.08.2022 के आधार पर अपने नाम से इंतकाल संख्या 945 दिनांक 20.09.2022 दर्ज करवा लिया है तो अपीलांट द्वारा अपने वकील से मिलकर प्रमाणित नकलें प्राप्त कर अपनी अपील ज्ञान से अंदर मियाद पेश की जा रही है। मियाद प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

14. अपील श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है जो उचित न्याय शुल्क पर पेश की जा रही है।

अतः अपील पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.08.2022 व इंतकाल संख्या 945 दिनांक 20.09.2022 को निरस्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

अपील पेश होने पर दर्ज की गई। रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 भूराराम द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91, 53 व 209 आर टी एक्ट अनवानी भूराराम आदि बनाम ईसरराम आदि प्रकरण संख्या 649/2021 पेश किया जो आज भी उपखंड अधिकारी राजस्व सादुलशहर में जेरकार है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 18.08.2023 नियत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर केवल मात्र चार पेशियों में ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि वसीयत के संबंध में कोई विवाद

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नहीं है तथा ना ही कोई प्रकरण विचाराधीन है, जबकि उक्त भूमि के संबंध में वाद पत्र वर्तमान में विचाराधीन है जो संपति अंतरण अधिनियम की धारा 52 व 53 का घोर उल्लंघन है। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जो वसीयत जो तथाकथित वसीयत दिनांक 03.01.2017 को की गई है उस समय वसीयतकर्ता केसूराम मानसिक रूप से बीमार था एवं बुजुर्ग अवस्था में था जिसे अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं था। इसलिए रेस्पोडेंट्स द्वारा गलत तरीके से वसीयत करवायी गई थी, यदि वसीयत सही होती तो रेस्पोडेंट संख्या 1 केसूराम की मृत्यु के तुरंत बाद ही वसीयत का इंतकाल दर्ज करने बाबत् कार्यवाही करता जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा ऐसा नहीं किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वाद पत्र दाखिल होने पर ही अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत से संबंधित कार्यवाही की गई है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.08.2022 व इंतकाल संख्या 945 दिनांक 20.09.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 ता 5 के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में निम्नलिखित कथन किया हैः–

1. अपीलार्थी द्वारा श्रीमान् न्यायायल के समक्ष प्रस्तुत अपील गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है, जो पोषणीय नहीं है।
2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 सही व न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश तथ्यों तथा गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया है क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसके पिता केसुराम पुत्र श्री गंगाराम, जाति नायक, निवासी तख्तहजारा, के नाम से चक 06 बीजीएस, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 52, मुरब्बा नंबर 10 में 10 बीधा भूमि है, जो केसुराम की स्वअर्जित भूमि थी, उक्त स्वअर्जित भूमि की बंद वसीयत रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता केसुराम द्वारा दिनांक 30.12.2016 को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष की गई एवं श्री केसूराम की मृत्यु दिनांक 20.11.2021 को होने के उपरांत उक्त वसीयत को खुलवाया गया एवं उक्त वसीयत के आधार पर मृतक केसूराम पुत्र गंगाराम की भूमि चक 6 बीजीएस, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 52, मुरब्बा नंबर 10 में स्थित 10 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 पर न्यागत हुई, क्योंकि उक्त बंद वसीयत श्री केसुराम द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 के पक्ष में निष्पादित की गई थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का इंतकाल वसीयत के आधार पर अपने नाम करवाने हेतु आवेदन किया एवं उक्त भूमि के संबंध में कोई वाद विवाद अथवा स्थगन आदेश नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर द्वारा सार्वजनिक आपत्ति सूचना जारी की गई एवं आपत्ति सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र लोकसम्मत में दिनांक 08.7.2022 में किया गया एवं समाचार पत्र की प्रति

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत करने के उपरांत निर्धारित समयावधि दिनांक 27.07.2022 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार इंतकाल की कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त विवादित भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 का कब्जा निर्विवाद रूप से चला आ रहा था और समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात उक्त भूमि का इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम से अमल दरामद करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2022 निर्णय पारित किया गया, जिसकी पालना में दिनांक 20.09.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज किया गया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्ण रूप से विधिसम्मत व न्यायसंगत है।

3. अपील में वर्णित पक्षकारान रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5, रेस्पोडेंट संख्या 1 की बहने हैं, जिन्हें उक्त वसीयत के संबंध में किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है, क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने पिता केसुराम की हर प्रकार से सार संभाल देखभाल, सेवा चाकरी की जा रही थी और केसुराम द्वारा अपनी ईच्छा अनुसार उक्त वसीयत में श्री केसुराम द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि उसने अपीलार्थी रामलाल के पिता व अपने मृतक पुत्र हंसराज को उसका हिस्सा दे दिया था। वसीयतकर्ता द्वारा अपनी ईच्छा अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत की गई है। रेस्पोडेंट संख्या 1 का उक्त भूमि पर पूर्व से कब्जा चला आ रहा था, क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता केसुराम उसके पास रहते थे एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने पिता एवं अपनी बहनों की सार संभाल की जा रही थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा लेन देन किया जा रहा था।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में भूमि का इंतकाल पूर्ण रूप से विधिसम्मत दर्ज किया गया है। उक्त भूमि में अपीलार्थी को कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा लालचवश रेस्पोडेंट संख्या 1 को परेशान करने हेतु उक्त अपील प्रस्तुत की गई है, जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है, क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि पंजीकृत बंद वसीयत द्वारा प्राप्त हुई है एवं वसीयत पूर्ण रूप से वैध व प्रभावी है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील निरस्त फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा अपने वसीयत प्रकरण 12/2022 अनवानी ईसरराम बनाम केसूराम में आदेश दिनांक 03.08.2022 पारित किया गया, जिसके आधार पर अपीलकृत इंतकाल सं0 945 दिनांक 20.09.2022 दर्ज किया गया, जो न्यायसंगत है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने वसीयत प्रकरण में विधिवत सुनवाई हेतु आपत्ति सूचना जारी की गई है, जिसकी विज्ञप्ति लोक सम्मत दैनिक अखबार दिनांक 08.07.2022 में विज्ञप्ति जारी की गई है एवं गवाहों के ब्यान लिये गये है। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने की समयावधि के बाद, कोई आपति प्राप्त न होने की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

दशा में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश दिनांक 03.08.2022 पारित किया गया है, जिसके आधार पर अपीलकृत इंतकाल सं0 945 दिनांक 20.09.2022 स्वीकृत किया गया है। उक्त भूमि **स्वंयअर्जित है या नही ? के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के वसीयत प्रकरण 12/2022 अनवानी ईशर राम बनाम केसुराम में हल्का पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट की गई है, में स्पष्ट अंकित किया गया है कि उक्त भूमि वसीयतकर्ता की खरीदशुदा भूमि है। स्वंयअर्जित संपति की वसीयत करने हेतु वसीयतकर्ता स्वतंत्र था।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश एवं इंतकाल पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत् है। फलस्वरूप, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner